झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
तृतीय (मानसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 21.09.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स0वि0स0 श्री उमाशंकर अकेला स0वि0स0	सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत् संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला-स्तरीय चौकीदार चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार तत्कालीन बिहार सरकार के गृह विभाग के पत्रांक- 359, दिनांक- 17.01.1990 द्वारा चौकीदार/दफादार को दिनांक- 01.01.1990 से राज्य का चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित किया गया था पुनः गृह विभाग के पत्रांक- 11287, दिनांक- 20.12.1995 द्वारा निर्णय लिया गया कि किसी चौकीदार/दफादार के दिनांक- 01.01.1990 के बाद अवकाश प्राप्त करने पर उनके नामित को चौकीदार के पद पर केवल एक बार अपवाद स्वरूप बॉण्ड लेकर नियुक्ति किया जायेगा। वर्ष 2000 में झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् झारखण्ड सरकार के गृह विभाग के पत्रांक-3206 दिनांक- 15.06.2002 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि चौकीदारों/दफादारों की नियुक्ति के संबंध में अविभाजित बिहार सरकार द्वारा निर्गत नियम/परिनियम/संकल्प/अनुदेश के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई की जाय।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
		तत्पश्चात पुनः गृह विभाग के पत्रांक- 3472 दिनांक- 02.09.2009 द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी उपायुक्त, झारखण्ड को बिहार सरकार के गृह विभाग के पत्रांक- 11287 दिनांक- 20.12.1995 के आलोक में ही नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया गया। जिसके आलोक में पत्रांक- 3849 दिनांक- 23.05.2014 के निर्गत होने के पूर्व तक अनुपालन किया गया। **झारखण्ड चौकीदार सम्वर्ग नियमावली, 2015 अधिसूचना संख्या- 2032 दिनांक-07.04.2015 के कंडिका- 3 (1) में अंकित "विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत सभी चौकीदार एवं दफादार इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे"।** उक्त अधिसूचना के प्रतिकूल नियुक्त सम्पूर्ण राज्य के चौकीदार/दफादार को सेवा से विमुक्त कर दिया गया। अतएव राज्य सरकार के अधिसूचना के आलोक में पूर्व में नियुक्त एवं अनियमित रूप से सेवामुक्त किए गए चौकीदारों की सेवा विमुक्ति संबंधी आदेश को निरस्त करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहते हैं।	
02-	**श्री प्रदीप यादव स०वि०स०**	पूर्ववर्ती सरकार ने जनहितों की अनदेखी कर कई जन-विरोधी निर्णयों एवं नीतियों को लागू किया था। यथा-(a)झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइपलाइन नियमावली- 2018 के तहत् रैयतों की जमीन काफी सस्ते दर यानि कौड़ी के भाव सरकार या कम्पनियाँ ले रही हैं, लाखों किसानों को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। (b)-झारखण्ड भू-अर्जन, पुनर्वासन नियमावली-2015 के नियम-37 के तहत् अर्जित भूमि निर्धारित समय तक अनुपयोजित रह जाती है,	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		तो सरकार ने अपने हैंड-बैंक में लेने का प्रावधान किया, रैयतों को जमीन पुनः वापस हो इस हेतु कोई प्रावधान नहीं है, जिस कारण रैयतों का जमीन वापस नहीं मिल पा रही है। उपर्युक्त नियमों में संशोधन हो ताकि आम रैयतों एवं भूस्वामियों को लाभ मिल सके, सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ।	
03-	श्री लम्बोदर महतो स0वि0स0 श्री इन्द्रजीत महतो स0वि0स0	सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में कुल 09 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाएँ यथा- 1- संथाली, 2- कुड़ुख, 3- मुण्डारी, 4- हो, 5- खड़िया, 6- कुड़माली, 7- खोरठा, 8- नागपुरी, 9- पंचपरगनिया बोली जाती है। इसमें से भारतीय संविधान के 92वें संशोधन के द्वारा 2003 में संविधान के 08वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया जा चुका है तथा वर्त्तमान में राज्य सरकार द्वारा कुड़ुख, मुण्डारी एवं हो को शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार को अनुशंसा भेजा गया है। किन्तु खड़िया एवं क्षेत्रीय भाषाएँ यथा कुड़माली/नागपुरी/खोरठा एवं पंचपरगनिया का संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को अनुशंसा नहीं भेजी गयी है। झारखण्ड की जनजातिय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार, विकास एवं संरक्षण के लिए खड़िया, कुड़माली, नागपुरी, खोरठा एवं पंचपरगनिया को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होना राज्यहित में है। अतः राज्य सरकार से उपर्युक्त संदर्भ में समुचित कार्रवाई करते हुए खड़िया, कुड़माली, नागपुरी, खोरठा एवं पंचपरगनिया को भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु अनुशंसा करने की माँग करते हैं।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

01.	02.	03.	04.
04-	श्री बिरंची नारायण स0वि0स0	बोकारो में BSL क्षेत्र से बाहर अर्थात विस्थापित क्षेत्र जैसे- महुआर, बैताटांड, कुंडोरी, वैधमारा, वास्तेजी, धनगडी, मधुटांड, महेशपुर, पिपराटांड, शिबूटांड, बनसिमली, पचौड़ा, सहित करीब दो दर्जन बस्तियाँ आज न तो नगर पंचायत क्षेत्र का वजूद रखती है और न ही पंचायत का, साथ ही उक्त सभी बस्तियों में निवास करने वाली करीब 2 लाख से अधिक की जनसंख्या को सरकार की सभी महत्त्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। उक्त क्षेत्र की आबादी सांसद और विधायक का चुनाव तो करती है, लेकिन पंचायत के मुखिया और पंचायत समिति का चुनाव से वंचित रहती है। अतएव मैं इस दिशा में सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करता हूँ कि इन क्षेत्रों की जनता के सर्वांगीण विकास हेतु यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू करवाया जाये, ताकि इन क्षेत्रों के नागरिक सांसद और विधायक के साथ-साथ मुखिया और पंचायत समिति का भी चुनाव कर सकें।	ग्रामीण विकास
05-	डॉ0 सरफराज अहमद स0वि0स0	गिरिडीह जिलान्तर्गत गाण्डेय प्रखंड में स्थित रेफरल अस्पताल काफी जर्जर स्थिति में है जहाँ मरीजों के ईलाज के लिए उचित प्रबन्धन नहीं है। यहाँ चिकित्सक हमेशा उपलब्ध नहीं रहते है ना ही दवा देने का कोई प्रबन्ध है। स्थानीय लोगों को ईलाज देने के बदले उन्हें सदर अस्पताल, गिरिडीह रेफर कर दिया जाता है। अतः उक्त रेफरल अस्पताल में मरीजों के ईलाज के लिए उचित प्रबन्धन करने, पर्याप्त संख्या में डॉक्टर उपलब्ध रहने तथा मरीजों को दवा उपलब्ध करवाने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

राँची,
दिनांक- 21 सितम्बर, 2020 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।
कृ0पृ030

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-48/2020-.....1640../वि0 स0, राँची, दिनांक- 20/09/2020

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/2020

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्र0ध्या0-48/2020-.....1640../वि0 स0, राँची, दिनांक- 20/09/2020

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

19/9/2020

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

19.09.20